


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- 3128 वीवा डेस्ट: पायला डेस्ट
प्रकरण सं:- 87/2018
दिनांक:- 11.6.2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1399


आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी पायला डेस्ट व भू.अ.नि. पायला डेस्ट
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम मोरीसर
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-75 में खाता संख्या 18 में
वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि गोपाराम पुत्र चैगराम के स्थान पर गोपाराम उर्फ जोगाराम पुत्र
चैगराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 11/06/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1393-95
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री गोपाराम उर्फ जोगाराम निवासी मोरीसर तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी